



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-31012020-215839
CG-DL-W-31012020-215839

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 03] नई दिल्ली, जनवरी 19—जनवरी 25, 2020, शनिवार/पौष 29— माघ 5, 1941
No. 03] NEW DELHI, JANUARY 19—JANUARY 25, 2020, SATURDAY/PAUSHA 29—MAGHA 5, 1941

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

गृह मंत्रालय
(न्यायालयिक विज्ञान सेवा निदेशालय)

नई दिल्ली, 6 जनवरी, 2020

सा.का.नि. 07.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (केन्द्रीय न्याय-वैधक विज्ञान प्रयोगशाला वर्ग 1 और वर्ग 2 के पद) भर्ती नियम 1974 को, जहाँ तक उनका संबंध ज्येष्ठ वैज्ञानिक सहायक के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिकांश करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय, न्यायालयिक विज्ञान सेवा निदेशालय और इनकी दूरस्थ इकाइयों में ज्येष्ठ वैज्ञानिक सहायक के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, न्यायालयिक विज्ञान सेवा निदेशालय ज्येष्ठ वैज्ञानिक सहायक, समूह 'ख' अराजपत्रित पद भर्ती नियम, 2020 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. पद की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर.— पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची में स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.— उक्त पदों की भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) तक में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.— वह व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इन नियमों के प्रवर्तन में छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.— जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण है, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.— इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए, आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ज्येष्ठ वैज्ञानिक सहायक	38 (2020)* *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। टिप्पणी: प्राक्षेपिकी-5; जीव विज्ञान-10; रसायन विज्ञान-4; विस्फोटक-5; न्यूट्रॉन सक्रियण विश्लेषण-2; भौतिकी-7; विष विज्ञान-5।	साधारण केंद्रीय सेवा समूह 'ख' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर - 6 (35400-112400 रु.)	चयन पद	30 वर्ष से अनाधिक नोट 1: केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारी के लिए 5 वर्ष की छूट दी जा सकती है। नोट 2: (आयु-सीमा का निर्धारण करने की निर्णायक तिथि केंद्रीय चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जाएगी)।

51

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
<p>आवश्यक: शैक्षिक अर्हता:-</p> <p>(i) ज्येष्ठ वैज्ञानिक सहायक (प्राक्षेपिकी): किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से भौतिकी या गणित या व्यावहारिक (एप्लाइड) गणित या न्यायालयिक (फॉरेंसिक) विज्ञान में मास्टर डिग्री जिसमें बीएससी स्तर पर तीनो वर्षों में भौतिकी या गणित एक विषय या पत्र के रूप में रहा हो।</p> <p>(ii) ज्येष्ठ वैज्ञानिक सहायक (जीव विज्ञान): किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वनस्पति विज्ञान या जूलाँजी या माइक्रोबायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री या फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी या जेनेटिक्स या फॉरेंसिक साइंस में मास्टर डिग्री जिसमें बीएससी स्तर पर तीनो वर्षों में बाँटनी या जूलाँजी एक विषय या पत्र के रूप में रहा हो। या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जैव प्रौद्योगिकी में बी.ई (B.E) या बी टैक (B.Tech) की हो।</p> <p>(iii) ज्येष्ठ वैज्ञानिक सहायक (रसायन विज्ञान):- किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से रसायन विज्ञान या जैव रसायन विज्ञान या फॉरेंसिक विज्ञान में मास्टर डिग्री जिसमें बीएससी स्तर पर तीनो वर्षों में रसायन विज्ञान एक विषय या पत्र के रूप में रहा हो।</p> <p>(iv) ज्येष्ठ वैज्ञानिक सहायक (विस्फोटक): किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से रसायन विज्ञान या फॉरेंसिक विज्ञान में मास्टर डिग्री जिसमें बीएससी स्तर पर तीनो वर्षों में रसायन विज्ञान एक विषय या पत्र के रूप में रहा हो।</p> <p>(v) ज्येष्ठ वैज्ञानिक सहायक (न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस): किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से रसायन विज्ञान या भौतिकी या फॉरेंसिक विज्ञान में मास्टर डिग्री जिसमें बीएससी स्तर पर तीनो वर्षों में रसायन विज्ञान या भौतिकी एक विषय या पत्र के रूप में रहा हो।</p> <p>(vi) ज्येष्ठ वैज्ञानिक सहायक (भौतिकी): किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से भौतिकी या अनुप्रयुक्त विज्ञान या कंप्यूटर विज्ञान या इलेक्ट्रॉनिक्स या फॉरेंसिक विज्ञान में मास्टर डिग्री जिसमें बीएससी स्तर पर तीनों वर्षों में भौतिकी एक विषय या पत्र के रूप में रहा हो।</p>	लागू नहीं होता	दो वर्ष	90 % सीधी भर्ती द्वारा और 10% प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर अल्पकालिक संविदा सहित प्रतिनियुक्ति।

<p>या बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या बी.टेक (सिविल या इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स या टेलीकम्युनिकेशन या कंप्यूटर साइंस या इंस्ट्रुमेंटेशन) या कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग (CSE) या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग (ECE) या सूचना प्रौद्योगिकी या इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग (EEE) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से की हो।</p> <p>(vii) ज्येष्ठ वैज्ञानिक सहायक (विष विज्ञान): किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से रसायन विज्ञान या बायोकेमिस्ट्री या फार्माकोलॉजी या फोरेंसिक विज्ञान में मास्टर डिग्री जिसमें बीएम्सी स्तर पर तीनो वर्षों में रसायन विज्ञान एक विषय या पत्र के रूप में रहा हो।</p> <p>नोट: - शैक्षिक अर्हताएं में प्रासंगिक विषय भर्ती के समय आवश्यकता के अनुसार विनिर्दिष्ट किया जाएगा।</p>			
---	--	--	--

<p>प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा</p>	<p>यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना</p>	<p>भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है</p>
(11)	(12)	(13)
<p>प्रोन्नति : न्यायालयिक विज्ञान सेवा निदेशालय के अधीन केंद्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला में वेतन मैट्रिक्स में स्तर - 5 (29200-92300 रु) में कार्यरत ऐसे प्रयोगशाला सहायक जिन्होंने उस श्रेणी में 6 वर्ष की नियमित सेवा की है और किसी मान्यता प्राप्त न्याय संबंधी संस्थान या संगठन में 2 हफ्ते का परीक्षण सफलता पूर्वक पूरा किया है।</p> <p>टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो</p>	<p>समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) निदेशक, केंद्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, न्यायालयिक विज्ञान सेवा निदेशालय -अध्यक्ष (2) उप निदेशक, केंद्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, न्यायालयिक विज्ञान सेवा निदेशालय - सदस्य (3) अवर सचिव- गृह मंत्रालय - सदस्य <p>समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति (सीधी भर्ती के पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) निदेशक, केंद्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, न्यायालयिक विज्ञान सेवा निदेशालय -अध्यक्ष (2) उप निदेशक, केंद्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, न्यायालयिक विज्ञान सेवा निदेशालय - सदस्य (3) अवर सचिव- गृह मंत्रालय - सदस्य 	<p>आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।</p>

49

<p>और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p>प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित): केंद्रीय सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों या स्वायत्त या कानूनी संगठन या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान के ऐसे अधिकारी:</p> <p>(i) मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर अनुरूप सर्वश पद धारण किए हुए हैं ; या</p> <p>(ii) वेतन मैट्रिक्स स्तर - 5, 29200-92300 रु. में छह साल की नियमित सेवा की हो ; और</p> <p>स्तंभ 7 के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षणिक अर्हता रखते हो।</p>		
--	--	--

[फा.सं. डीएफएसएस/38(2)/2016]

नरेंद्र कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS
(DIRECTORATE OF FORENSIC SCIENCE SERVICES)

New Delhi, the 6th January, 2020

G.S.R. 07.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Bureau of Police Research and Development (Central Forensic Science Laboratories Class I and Class II Posts) Recruitment Rules, 1974 in so far as they relate to the post of Senior Scientific Assistant except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules to regulate the method of recruitment to the post of Senior Scientific Assistant, in the Ministry of Home Affairs, Directorate of Forensic Science Services and its outlying units, namely:-

1. Short title and commencement.—

- (1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, Directorate of Forensic Science Services, Senior Scientific Assistant, Group 'B' Non- Gazetted Post Recruitment Rules, 2020.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and level in the pay matrix.— The number of posts, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.— The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

48

4. **Disqualification.**—No person, -

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,
- shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category or persons.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in pay matrix	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Senior Scientific Assistant.	38 (2020)*. * (Subject to variation dependent on workload). Remark: Ballistics-5; Biology-10; Chemistry-4; Explosives-5; Neutron Activation Analysis- 2; Physics-7; Toxicology-5.	General Central Service Group 'B' Non- Gazetted, Non - Ministerial.	Level-6 (Rs. 35400-112400/-)	Selection post	Not exceeding 30 years. (Relaxable for Government servants' upto five years in accordance with the instructions or orders issued by Central Government). Note: The crucial date for determining the age- limit shall be as advertised by Staff Selection Commission.

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Essential: Educational Qualification:- (a) Senior Scientific Assistant (Ballistics) :Master degree in Physics or Mathematics or Applied Mathematics or Forensic Science with Physics or Mathematics as one of the subjects or papers during all the three years of Bachelor of Science level from a recognised University. (b) Senior Scientific Assistant (Biology) :Master degree in Botany or Zoology or Microbiology or	Not Applicable	Two years.	(i) 90 per cent by direct recruitment; and (ii) 10 per cent by promotion failing which by deputation (including short-term contract).

41

<p>Biotechnology or Biochemistry or Physical Anthropology or Genetics or Forensic Science with Botany or Zoology as one of the subjects or papers during all the three years of Bachelor of Science level from a recognised University; OR B.E. or B.Tech in Biotechnology from recognised University.</p> <p>(c) Senior Scientific Assistant (Chemistry): Master degree in Chemistry or Biochemistry or Forensic Science with Chemistry as one of the subjects or papers during all the three years of Bachelor of science level from a recognised university.</p> <p>(d) Senior Scientific Assistant (Explosives) : Master degree in Chemistry or Forensic Science with Chemistry as one of the subjects or papers during all the three years of Bachelor of Science level from a recognised university.</p> <p>(e) Senior Scientific Assistant (Neutron Activation Analysis): Master degree in Chemistry or Physics or Forensic Science with Chemistry or Physics as one of the subjects or papers during all the three years of Bachelor of Science level from a recognised university.</p> <p>(f) Senior Scientific Assistant (Physics): Master degree in Physics or Applied Physics or Computer Science or electronics or forensic Science with Physics as one of the subjects or papers during all the three years of Bachelor of Science level from a recognised university. OR Bachelor of Engineering or B. Tech (Civil or Electrical or Mechanical or Electronics or Telecommunication or Computer Science or Instrumentation) or Computer Science and Engineering (CSE) or Electronics and Communication Engineering (ECE) or Information Technology or Electronics or Electrical and Electronics (EEE) from a recognised university.</p> <p>(g) Senior Scientific Assistant (Toxicology): Master degree in Chemistry or Biochemistry or</p>			
---	--	--	--

46

Pharmacology or Pharmacy or Forensic Science with Chemistry as one of the subjects or papers during all the three years of Bachelor of Science Level from a recognised university. Note:- The relevant subject(s) in educational qualifications shall be specified as per the requirement at the time of recruitment.		
---	--	--

In case of recruitment by promotion or deputation / absorption grades from which promotion or deputation/ absorption to be made (11)	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition (12)	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment (13)
<p>Promotion : Laboratory Assistant working in Central Forensic Science Laboratory under Directorate of Forensic Science Services in level -5 of the pay matrix (Rs. 29200-92300/-) with six year's regular service in the grade and with successful completion of two weeks training in any recognized forensic institution or organization. Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>Deputation (including short-term contract): Officers of the Central Government or State Government or Union territories or autonomous or statutory organisation or public sector undertakings or University or recognised research institution: (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with six years regular service in level -5 in the pay matrix (Rs.29200-92300/-) or equivalent; and</p>	<p>Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- (1) Director, Central Forensic Science Laboratory, Directorate of Forensic Science Services - Chairman; (2) Deputy Director, Central Forensic Science Laboratory, Directorate of Forensic Science Services - Member; (3) Under Secretary, Ministry of Home Affairs - Member.</p> <p>Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for Considering Confirmation) consisting of:- (1) Director, Central Forensic Science Laboratory, Directorate of Forensic Science Services -Chairman; (2) Deputy Director, Central Forensic Science Laboratory, Directorate of Forensic Science Services - Member; (3) Under Secretary, Ministry of Home Affairs - Member.</p>	<p>Consultation of the commission is not necessary.</p>

45

(b) possessing the educational qualifications prescribed for direct recruits under column (7).		
--	--	--

[F. No. DFSS/38(2)/2016]

NARENDER KUMAR, Under Secy.

नई दिल्ली, 17 जनवरी, 2020

सा.का.नि.08.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, अनुसचिवीय (ग्रुप -ख पद) भर्ती नियम 1976, जहाँ तक उनका संबंध श्रेणी I आशुलिपिक (ज्येष्ठ वैयक्तिक सहायक) के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय के अधीन, न्यायालयिक विज्ञान सेवा निदेशालय एवं इसकी बाहरी इकाइयों में निजी सचिव, समूह ख पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ .—

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, न्यायालयिक विज्ञान सेवा निदेशालय, अनुसचिवीय (समूह -ख पद) भर्ती नियम, 2020 है।
- (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर.— पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची में स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि .— उक्त पदों की भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से (13) तक में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता .— वह व्यक्ति ,

- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; या ,
- (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति ओर विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इन नियम के प्रवर्तन में झूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति .—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।